पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

आदेश

विषय : – त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु प्रशिक्षण के संबंध में।

अनुसंधान अपराधिक न्याय व्यवस्था की नींव है। अतः इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान किया जाना आवश्यक है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों से फीडबैक मिला है कि थानों में पदस्थापित 50 प्रतिशत से अधिक लोग विधिवत् अनुसंधान कार्य में अक्षमता जाहिर करते हैं जिसका कुप्रभाव कांडों के अनुसंधान और दोषसिद्धि पर पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग एवं बिहार पुलिस एकेडमी द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसकी रूप रेखा निम्नवत् होगी।

1. प्रशिक्षण की अवधि पाँच दिन की होगी तथा दो दिन के अंतराल के बाद इसकी बारम्बार पुनरावृत्ति की जायेगी ताकि अधिक से अधिक पदाधिकारी प्रशिक्षित किये जा सके।
2. प्रशिक्षण में पुलिस निरीक्षक से स0अ0नि0 तक की कोटि के पदाधिकारी भाग लेंगे।
3. प्रशिक्षण दिनांक 02.04.2018 से प्रारंभ होगा तथा इसका आयोजन बि0सै0पु0–5 के सभागार में किया जाएगा।
4. प्रशिक्षण हेतु बिहार पुलिस एकेडमी, अपराध अनुसंधान विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, विशेष कार्य बल तथा आतंकवाद निरोधक दस्ता से रिसोर्स पर्सन्स को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
5. पाँच दिनों के कोर्स के लिए कक्षा/पालीबार कार्यक्रम अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा तथा अपराध अनुसंधान विभाग ही प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली अध्ययन सामग्री तैयार करायेंगे। प्रशिक्षण के नोडल प्रभार में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, श्री विनय कुमार रहेंगे। बिहार पुलिस एकेडमी तथा बिहार सैन्य पुलिस इन्हें वांछित सहयोग प्रदान करेंगे।

6. उपरोक्तानुसार अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग प्रत्येक बैच में 100 प्रशिक्षुओं के अनुपात से अधिकारियों का चयन कर सभी औपचारिकताएँ पूरी कर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करें।

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक......32......../गो0

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक....12/03/2018....

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस महानिदेशक सह निदेशक, बिहार पुलिस एकेडमी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, विशेष कार्य बल (STF) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोध दस्ता, (ATS) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. सभी प्रक्षेत्रीय म0नि0 एवं क्षेत्रीय उ0म0नि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। ।

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।